न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्याः–21/2017/भीलवाड़ा (2017/00026)

1. देवीलाल पुत्र कजोड़, जाति गाडरी, निवासीस गठिला खेड़ा, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र कजोड़,
2. कालू पुत्र नारायण,
3. श्रीमती बाली पत्नि नारायण,
   सभी जाति गाडरी, निवासी ग्राम गठिला खेड़ा, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 06.03.2017 अंतर्गत अपील संख्या 79/2016.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री आर0एस0 राणावत, वकील रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–21.12.2017

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 188 रकबा 0.15 बीघा एवं खसरा नंबर 1340/187 रकबा 1.05 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा भूमि ग्राम मण्डपिया, तह0 भीलवाड़ा में स्थित होकर खातेदार राजी पत्नि गोपी एवं चांदी पत्नि देवी राजस्व रिकार्ड में

संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज थी । खातेदार श्रीमती राजी का निधन होने पर राजी के हक हिस्से की भूमि का नामांतकरण गोदपुत्र की हैसियत से अपीलांट के नाम खोलने हेतु अपीलांट ने तहसीलदार, भीलवाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । तहसीलदार, भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 3.11.2016 के द्वारा अपीलांट के साथ रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के हक में नामांतकरण स्वीकृत करने के आदेश पारित किये । तहसीलदार, भीलवाड़ा के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 6.3.2017 को अपीलांट की अपील अस्वीकार की । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है । xx

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई। xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं बिना किसी प्रकार की जांच किये ही अपीलांट के साथ-साथ रेस्पो0 के हक में नामांतकराण स्वीकार करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि कारित की है जबकि अपीलांट की भाभी श्रीमती राजू बाई उर्फ राजी पत्नि गोपी ने विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा को क्रय किया था एवं अपीलांट के भाई गोपी एवं उसकी पत्नि राजी ने स्वंय के कोई जांयदा पुत्र पुत्री नहीं होने से अपने स्वर्गवास से पूर्व अपीलांट को समाज के मोतविरान व्यक्तियों की उपस्थिति में सामाजिक रीति-रिवाज से गोद लिया था किन्तु तहसीलदार ने इन सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर मृतक खातेदार के कानूनी उत्तराधिकारी को नजरअंदाज कर अपीलांट के साथ-साथ रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के नाम भी नामांतकरण स्वीकार करने के आदेश पारित करने में भारी त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि श्रीमती राजी के भाई-बहिन अपीलांट के नाम नामांतकरण खोले जाने पर सहमत थे एवं अपीलांट ने इस संबंध में शपथ पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया था । विद्वान वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि सामाजिक रीति रिवाज से गोद लिये जाने के बाद लिखित में गोदनामा होना आवश्यक नहीं है परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार ने गोद लिये जाने के साक्ष्यों को नजर अदांज कर विरासत के आधार पर नामांतकरण आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने डी0एन0जे0 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 51 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने तथा दोनों अधी0न्यायालयों के आदेश अपास्त करते हुए विवादित भूमि का नामांतकरण

अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया । xx

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 एवं 3 ने जवाब बहस में कथन किया कि दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट ने तहसीलदार के समक्ष गोद पुत्र की हैसियत से नामांतकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु गोदनामा लिखित में होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया । अधी0न्याया0 ने विवाद की स्थिति में गोदनामे के अभाव में विरासत के आधार पर नामांतकरण के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि वैसे भी गोद के बिन्दू के विनिश्चयन का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अपीलांट सक्षम न्यायालय से गोद पुत्र घोषित कराये बिना कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किये है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे । अपने कथनों के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 650, आर0आर0डी0 2003 पेज 362, आर0आर0टी0 2003 पेज 276 एवं आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1412 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णयों का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने स्वंय को श्रीमती राजी पत्नि गोपी के गोद पुत्र की हैसियत से तहसीलदार, भीलवाड़ा के समक्ष मृतक श्रीमती राजी की आराजियात का नामांतकरण स्वीकृत करने का निवेदन किया था । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने मृतक के समस्त वारिसान को सूचना पत्र जारी करने तथा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश पारित किये । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.12.2015 में मृतक खातेदार को लाऔलाद फौत होना अंकित करते हुए यह भी अंकित किया कि गांव के मोतबिरान ने बताया कि मृतका के सभी काम काज उसके देवर देवी ने किये है तथा देवी को ही गोद (समाज के समक्ष) रखा है । तहसीलदार की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मृतक राजी के अन्य वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया है कि स्व0 गोपी गाडरी एवं उसकी पत्नि श्रीमती राजी ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को गोद पुत्र नहीं रखा था तथा ना ही मौखिक वसीयत ही किसी के पक्ष में की थी । अतः मृतक राजी की भूमि का नामांतकरण स्व0 गोपी के समस्त भाईयों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें ।

6- अपीलांट द्वारा स्वंय स्व0 गोपी एवं राजी द्वारा गोद लिये जाने के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने गोद लिये जाने के संबंध मात्र गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिसमें यह कथन किया है कि स्व0 गोपी एवं श्रीमती राजी ने अपने जीवन काल में अपीलांट देवीलाल को

सामाजिक रीति-रिवाज से गोद लिया था । गोद जाने के संबंध में अपीलांट ने कोई भी लिखित गोदनामा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। इस संबधं में हम रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन से सहमत है कि जहां गोद के संबंध में विवाद हो वहां राजस्व न्यायालय को गोद के बिन्दू के विनिश्चयन का अधिकार नहीं है । अपीलांट ने तहसीलदार के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों में शोक पत्रिका की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें अपीलांट देवीलाल ने राजी उर्फ राजू देवी को अपनी भौजाई होना अंकित किया है, जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट राजू उर्फ राजीदेवी का गोद पुत्र नहीं है । राजस्थान भू-राजस्व अधि0 की धारा 135 (2) के अनुसार जहां भूमि को लेकर विवाद हो वहां नामांतकरण के क्रम में प्राकृतिक वारिसान को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा ऐसे मामलों में वसीयत/गोदपुत्र के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही से बचना चाहिये । तहसीलदार, भीलवाड़ा ने इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखकर धारा 135 (2) के तहत मृतक के समस्त विधिक वारिसान के हक में नामांतकरण स्वीकृत करने के आदेश पारित किये है जिसे विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलाधीन आदेश द्वारा यथावत् रखने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 3.11.2016 एवं विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 6.3.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाये जाते है ।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 21/2017 (2017/00026) बउनवानी देवीलाल बनाम रघुनाथ को अपास्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 3.11.2016 एवं विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 6.3.2017 यथावत् रखे जाते । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 21.12.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर